निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 43 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड सिचाई विभाग रुड़की, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, सिचाई विभाग रुड़की, के माह 07/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 18/08/2018 से 29/08/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी के श्रीवास्तव व सुनील कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27/07/2017 से 08/8/17 तक श्री जे एम एस रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 8/2016 से 6/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यह की निर्माण कार्य के रूप मे सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण जिला हरिद्वार, उत्तराखंड ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-2016	-	-	2814.12	2807.77	203.68	193.99	6.35	9.69
2016-2017	-	-	3526.92	3526.92	96.60	96.60	-	-
2017-2018	-	-	1670.86	1670.86	86.50	86.50	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम (नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		शून्य			

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत , राज्य सरकार है ।

(iv) इकाई की श्रेणी "A" है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(1) सचिव , सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, गड़वाल क्षेत्र स्तर -2, मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संस्थान कलागड़,मुख्य अभियंता परियोजना गड़वाल यमुना कालोनी देहारादून, मुख्य अभियंता परिकल्प रुड़की , मुख्य अभियंता यांत्रिक देहरादून, अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल देहारादून ।

(4) अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल रुद्रप्रयाग (5) अधिशासी अभियंता (6) साहयक अभियंता

(7) कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6) प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्क सहायक ।

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड सिचाई विभाग रुड़की को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड सिचाई विभाग रुड़की, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2017 एवं 07/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) .....का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... "व्यय के आधार पर"..... के आधार पर किया गया।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13,

लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 29/8/2018 से 29/8/2018 तक निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2012 तथा 9/2013 तक की गई।
5. फार्म 51: माह..... तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम ... Nil

   भाग द्वितीय .. (-) ` 62433.00
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह ..... के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	` 83687.00
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	` 14,35,317
(ङ)	भण्डार	` 3,88,48,419.00

भाग दो (ब)

प्रस्तर सं.1 रू0 114.00 लाख का संविदाकारों को जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के विपरीत एस0जी0एस0टी0 एवं सी0जी0एस0टी0 का अधिक भुगतान किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17–27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश मे case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाईस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 2 की उप धारा 119 में " work contract" means a contract for building construction, Fabrication, completion, errection, installation, fittingout, improvement, modification, repair maintence, renovation, alteration or commissing of any immovable property wherein transfer of property in goods (whether as goods or in same other form) is involved in the execution of such contract का कार्य करने वाले संविदाकारों को भी डीलर (व्यौहारी) माना गया है, इसलिये प्रत्येक डीलर जिसका कारोबार उत्तराखण्ड में रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष है, उसे माल एवं सेंवाकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है तथा प्रत्येक पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी को अधिनियिम की धारा 31 के अनुसार बिक्री किये गये माल एवं सेवा की टैक्स इन्वाइस निर्धारित प्रारूप में जारी करना अनिवार्य है।

Government of India/State
Department of .....

Form GST INV – 1
(See Rule --------)
Application for Electronic Reference Number of an Invoice

1. GSTIN
2. Name
3. Address
4. Serial No. of Invoice
5. Date of Invoice

Details of Receiver (Billed to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Details of Consignee (Shipped to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Sr. No.	Description of Goods	HSN	Qty.	Unit	Rate (per item)	Total	Discount	Taxable value	CGST		SGST		IGST	
									Rate	Amt.	Rate	Amt.	Rate	Amt.
	Freight Insurance Packing and Forwarding Charges													
		Total												
	Total Invoice Value (In figure) Total Invoice Value (In Words)													
	Amount of Tax subject to Reverse Charges													

तथा जारी (Tax Invoice) बिक्री के बिलों पर अलग से बिल की धनराशि के साथ सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 कर की मॉग अलग से प्रदर्शित करनी होगी, तभी उनकों अलग से देय कर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 धनराशि का भुगतान पर किया जा सकता था, अन्यथा अलग से कर का भुगतान नही किया जा सकता। अधिनियम की धारा 122(1) की उप धारा (i) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी किसी बीजक के जारी किए बिना, किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है, या ऐसा किसी पूति के लिये झूठा या गलत

बीजक जारी करता है तो वह अपराध करता है। या धारा 122 (3) (ड) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है, या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिऐ कैफियत दने में असमर्थ रहता है, या धारा 132 (1) की उप धारा (क) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना ही किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर अपवंचन के आशाय से करता है, तो ऐसी शस्ति के लिये दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड रूडकी की लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदी विभाग के द्वारा माह 11/2017 से माह 7/2018 तक संविदाकार से बिना टैक्स इनवाइस प्राप्त किये ही कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान एवं अतरिक्त रू0 1,13,50,115.00 जी0एस0टी0 कर की धनराशि किया गया था। जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिऐ था, साथ ही संविदाकारों को भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों में यह भी पाया गया कि सभी संविदाकार केवल वैट में ही रजिस्टर्ड थें, जबकि प्रावद्यानों के अनुसार उनकों सी0जी0एस0टी में भी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य था, तभी उनकों जी0एस0टी0 कर का भुगतान किया जा सकता था, यदि उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिल प्रस्तुत कर अलग से जी0एस0टी0 कर की **माँग** की गई होती तो ही अन्यथा नही। संविदकार के द्वारा ना तो अलग से शिडयूल बी में कर की अलग से मॉग की गयी थी, और ना ही उसनें द्वारा अपनी टैक्स इन्वाइस जारी कर **माँग** की गयी थी। फिर भी विभाग के द्वारा संविदाकारो को टैक्स धनराशि का अलग से भुगतान किया गया था, जोकि वस्तु एंव सेवाकर अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्रावद्यानों एवं शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 में उल्लिखित शर्तो के विरूद्व था। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट होता है, कि रजिस्टर्ड ब्यौहारी संविदाकर की मंशा ही कर अपवंचन करने की थी, इसलिये उसके द्वारा सी0जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावद्यानो का पालन सुनिश्चित किये बिना ही संविदी विभाग से कार्य संविदा की धनराशि एवं अलग से 12 प्रतिशत कर जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान प्राप्त किया गया था। इसलिये माल एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 एवं नियमो के विरूद्व संविदाकारो को भुगतान की गयी संविदा एवं कर की धनराशि वसूली योग्य है। तथा उस पर धारा 122 (1) का (i),(xv) एवं अधिनियम की धारा 132(1) (क) के अनुसार अपराध एवं शास्ति के प्रावद्यान भी लागू होगे।

उपरोक्त के संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि वि0ह0 पु0 भाग–6 के अनुच्छेद 424,425 एवं 441 के प्रारूप 24 के अन्तर्गत प्रथम/अन्तिम देयकों का भुगतान किया जाता है जिसमें ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य की माप और दरें अंकित होती है जिस पर ठेकेदार के हस्ताक्षर होते है। प्रारूप 24 को ही टैक्स इन्वाईस मानते हुए भुगतान किया जाता है

तथा टैक्स के लिय अलग से इन्वाइस की आवश्यकता नही होती है। शासनादेश सं0 2137/।।।/(2)17–27(सामान्य)/2017 में भी संविदाकार को अलग से देने का प्राविद्यान किया गया है।

विभाग के द्वारा स्वंय ही स्वीकार किया गया है, कि संविदाकारों के द्वारा टैक्स इन्वाइस कार्य संविदा के सापेक्ष प्रस्तुत नही किया जाता है। जबकि वर्तमान में संविदाकारों को संविदा की धनराशि के अतरिक्त जी0एस0टी0 दर 12 प्रतिशत का अलग से भुगतान किया गया था। विभाग की लापरवाही के कारण उन सभी संविदाकारों को जोकि वस्तु एवं सेवाकर में रजिस्टर्ड भी नही थे तथा जिनके द्वारा कार्य संविदा की दी गयी निविदा दरों शिडयूल बी में भी कार्य की दी गयी दरों में अलग से 12 प्रतिशत जी0सी0टी0 की माँग भी विभाग से नही की गयी थी,उन सभी संविदाकारों को खण्ड कार्यालय के द्वारा कार्य संविदा की धनराशि के अतिरिक्त अलग से 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 कर रू0 1,13,50,115.00 की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया था, जोकि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर विधेयक 2017 में उल्लिखित प्रावद्यानों के विरूद्व था, जिसकी वसूली सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर सं0 2 रू0 219.00 लाख का नलकूप निमार्ण पर निष्फल व्यय।

मुख्य अभियन्ता श्रीनगर, सिचाई विभाग के अशासकीय पत्रांक संख्या 50FT/XXIII6IC/9-TW/55, dated 9/1/1960 एवं अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल (यात्रिक) देहरादून के कार्यालय पत्रांक सं0 1396 दिनांक 20/3/2015/ के अनुसार नलकूप की निर्धारित आयु सीमा 17 वर्ष या 57000 घण्टे बतायी गयी है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड रूड़की की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि विगत **दर्शाये** गये वर्षो से 46 नलकूपों **फ़ेल** है, जिनमें से 19 नलकूप ऐसा भी है, जो अपनी निर्धारित आयु सीमा 17 वर्ष या 57000 घण्टे दोनों में जो भी पहले पूर्ण कि**ये** बिना ही **फ़ेल** हो चुके थे। जिनके **फ़ेल** होने का एक मात्र कारण केवल अत्यधिक मात्रा में रेत व बजरी देना अभिलेखों में दर्शाया गया है। इनमें से 17 नलकूपों ऐसे भी है, जो केवल निर्माण के वर्ष/तिथि से 3 वर्ष चलकर ही **फ़ेल** हो चुके थे (नलकूप संख्या 291 आर0जी0, 289 आर0जी0, 332 आर0जी0, 318 आर0जी0 एवं 309 आर0जी0, जिन पर लागत क्रमशः 40.03 लाख, 46.34 लाख, 38. 39 लाख, 41.61 लाख एवं 43.88 लाख कुल लागत रू0 219.25 लाख थी।) निर्माण नलकूपो के भु**गर्भीय** सर्वेक्षण रजिसविलटि टैस्ट एवं लोगिग स्टैट कराये बिना ही नलकूप का निर्माण उस जमीन पर किया गया था, जिसका स्वामित्व विभाग का नही था, अर्थात ना तो विभाग को जमीन दान में कृषको के द्वारा दी गयी थी और ना ही विभाग द्वारा जमीन का क्रय कृषकों से किया गया था। जबकि यह सभी कार्य नलकूप निर्माण कराने से पूर्व अति–आवश्यक थे। विभाग/खण्ड कार्यालय के द्वारा 46 **फ़ेल** नलकूपों से सम्प्रेक्षा तिथि तक नलकूपों की एसेम्बली भी नही निकाली गयी थी, जिसका अन्यत्र उपयोग किया जा सकता था। खण्ड की इस लापरवाही से शासन को पूर्व में व्यय की जा चुकी धनराशि के सापेक्ष निकाली जाने वाली एसेम्बली से प्राप्त राजस्व की क्षति भी हो गयी थी। जबकि उच्चाधिकारियों के द्वारा नलकूप पुनःनिर्माण सम्बन्धित आदेशों में स्पष्ट कहा गया था, कि शासनादेश संख्या 2132/27–5–91 दिनांक 26.4.1991 में नि**हित** व्यवस्था के अन्तर्गत नलकूप को **फ़ेल**

घोषित करते हुए पुननिर्माण की स्वीकृति एतद् द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती हैं । नलकूप पर स्थापित ऐसेम्बली एवं अन्य उपकरण जैसे पम्पसैट, स्र्टाटर इत्यादि को निकालने का पूर्ण उत्तरदायित्व अधिशासी अभियन्ता का होगा तथा पुननिर्माण से सम्बन्धित योजना को पूर्व स्थापित ऐसेम्बली, उपकरणों का केडिट दिया जाये। परन्तु खण्ड कार्यालय के द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित किये बिना ही नलकूप का निर्माण कराया गया जिससे नलकूप अपनी निर्धारित आयु **सीमा पूर्ण किए** बिना ही **फ़ेल** हो गये थे।

इस सम्बन्ध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि पूर्व में स्थापित नलकूपों की ऐसेम्बली पुरानी होने के कारण अन्दर से जीर्ण–शीर्ण हो जाती है। जीर्ण–शीर्ण ऐसेम्बली को निकालने में अत्यधिक आर्थिक नुकसान होने की सम्भावना रहती है। **फ़ेल** नलकूप की ऐसेम्बली निकालने का कोई प्रावद्यान नही है।

विभागीय उत्तर मान्य नही है, क्योकि यदि **फ़ेल** नलकूपों की ऐसेम्बली निकालने का कोई प्रावद्यान नही था, तो उच्चाधिकारियों के द्वारा अधिशासी अभियन्ता को **फ़ेल** नलकूप की ऐसेम्बली निकालने के आदेश क्यो दिये जाते। खण्ड का यह कहना कि ऐसेम्बली पुरानी होने के कारण अन्दर से जीर्ण–शीर्ण हो जाती है, यह भी मिथ्या है, क्योकि खण्ड कार्यालय के द्वारा किसी भी फैल नलकूप की ऐसेम्बली निकालने के लिये कोई सार्थक प्रयास सम्प्रेक्षा तिथि तक किया ही नही गया था। खण्ड कार्यालय के द्वारा **फ़ेल** नलकूपों के सापेक्ष पुनः नलकूप निर्माण का प्रयास भी नही किया गया था, क्योकि खण्ड कार्यालय के द्वारा अपने उत्तर में यह भी बताया गया कि कृषकों द्वारा अपने निजी नलकूपों से सींच की जाती है, तथा नारसन एवं भगवानपुर के कुछ क्षेत्रों में औधोगिक क्षेत्र एवं आबादी विकसित हो जाने के कारण सींच क्षेत्र मानक से कम होने पर भी नलकूप परित्याग हेतु प्रस्तावित है। यदि ऐसा था तो पूर्व में ही शासकीय धन व्यय करके नलकूपों का निमार्ण नही कराया जाना चाहिये था। नलकूप परित्याग के संबंध में सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, जनपद के मुख्य विकास अधिकारी से यह पुष्टि करायेगे कि नलकूप की वास्तव में उस क्षेत्र में **माँग** है अथवा नही एवं नलकूप वास्तव में परित्याग किये जाने योग्य है। ऐसी कोई रिपोर्ट एवं **जांच** जोकि

मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा दी गयी हो,सम्प्रेक्षा तक नही दी गयी थी, और ना ही खण्ड कार्यालय एवं अधिक्षण अभियन्ता कार्यालय से इस संबंध में कोई भी पत्राचार नलकूप परित्याग करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से किया गया था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 3- रू0 65.15. लाख की लागत सामग्री का अनियमित क्रय करके, क्रय सामग्री को विगत कई वर्षो से स्टॉक में अवरूद्ध रखना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून :– दिनांकः 01 मई, 2008 को जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (**प्रोक्योरमेंट**) नियमावली, 2008 अधिसूचना प्रकीर्ण

अध्याय–2 सामग्री

सामग्री के लिए बिना दर सूची (कोटेशन) के क्रय

8. जहां क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य रु0 15,000 (रू0 पन्द्रह हजार) तक हो, प्रत्येक ऐसे अवसर पर ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति, बिना **कोटेशन**/निविदा के, खुले बाजार दर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित प्रारूप में प्रमाण पत्र अभिलिखित करने पर की जा सकती हैः–

क्रय समिति के माध्यम से सामग्री का क्रय

9. प्रत्येक अवसर पर रु0 15000 (रू0 पन्द्रह हजार) से अधिक तथा रु0 1,00,000 (रू0 एक लाख) तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस क्रय समिति में अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखा परीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया में विशेष रूप से **प्रशिक्षण** प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी होगा।

दर संविदा के अधीन सामग्री का सीधे क्रय

10(1) ऐसी सामग्री और मदों के लिए, जिन्हें सामान्य उपयोग की मदों के रूप में चिन्हित किया गया है और जिन की सरकारी विभागों और एजेन्सियों को बार–बार आवश्यकता होती है, उनके लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों की पदनामित केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा 'दर संविदा' की जा सकती है। ऐसी 'दर संविदाओं' का विवरण विभाग/शासन की वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए। विभाग/शासन यह सुनिश्चित करेगा कि दर संविदा के मूल्य, बाजार भाव या अन्य संगठनों में समान दर संविदाओं में दिए गये मूल्य से अधिक न हों।

(2) दर संविदाएं सामान्यतः एक समय में एक वर्ष के लिए की जा सकेंगी। तथापि ऐसी सामग्री के विषय में जिनके मूल्य में निरन्तर उतार–चढाव होता रहता है या जहाँ दर संविदा के वैध अवधि में मूल्यों के कम होने की प्रवृत्ति हो, अल्प अवधि के लिए दर सविदा की जा सकती है और ऐसी सामग्री के बाजार भाव पर कड़ी निगरानी रखी जाए। विशेष परिस्थितियों में, वित्त विभाग की सहमति से विभाग को भारत सरकार के केन्द्रीय क्रय संगठन यथा पूर्ति और निपटान महानिदेशक (डी.जी.एस.एंड.डी.) द्वारा की गई दर संविदा के आधार पर सामग्री क्रय करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा

13.(1) रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित की जाए। रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार पत्र (पत्रों) और विशेष मामले में व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये। (2) निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड रूडकी कार्यालय के अभिलेख 2एस– अवधि अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 का अवलोकन करने पर पाया गया कि आइटम संख्या 120 एवं 121 सर्वो वोल्टेज स्टैबलाइजर 200–460 (19) जिसकी स्टॉक इशु दर 2,58,500 (अवधि 1.6.2016) तथा 1.7.2017 एवं 1.4.2018 में दर 3,10,200.00 दर्शायी गयी है। इसी तरह आइटम संख्या 121 सर्वो वोल्टेज स्टैबलाइजर 250–460 (9) जिसकी दरे 1.6.2016 को 2,11,500.00 तथा 1.7.2017 एवं 1.4.2018 को 2,53,800.00 दर्शायी गयी है। उपरोक्त सामग्री वर्ष 2013–14 से बिना उपयोग के स्टोर में पडी हुई है। जिसकी वारण्टी भी समाप्त हो चुकी है , क्योकि यह सामग्री प्राप्त कुटेशन से मैसर्स एल0डी0 पावर ट्रांसफारमर प्रा0 लि0 नोयडा से क्रय की गयी थी। सम्प्रेक्षा तिथि में एस0ओ0आर दरों के अनुसार इसका मूल्य इस प्रकार है।

2,58,500X10=49,11,500 & 2,11,500x9=19,03,500 total Rs. 68,15,000-00 उपरोक्त मूल्य की लागत सामग्री का क्रय कर शासकीय धनराशि को अवरूद्व रखा गया था।

इस सम्बन्ध में खण्ड से पूछने पर बताया गया कि नलकूपों पर लो वोल्टेज की समस्या पूर्व से लगातार बनी रहती है, जिसके कारण बार–बार मोटर जल जाती है, परिणाम स्वरूप नलकूप सुचारू रूप में संचालित न होने के कारण सिंचाई प्रभावित होती है तथा कृषकों को सिचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। अनुरक्षण एवं मरम्मत/रिवाईन्डिग आदि करने हेतु अनावश्यक राजकीय धन खर्च करना पडता है जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही हो पाता है।

विभागीय उत्तर स्वीकार करने योग्य नही है, क्योंकि उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी **प्रोक्योरमेंट** नियमावली 2008 के प्रावद्यानों को उल्लघन यह कहकर करना कि टेण्डर प्रकिया में अधिक समय लगता है, इसलिये प्रोक्योरमेन्ट रूल्स में दी गयी व्यवस्था अनुसार स्थानीय स्तर पर ही स्थापित क्रय समित के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं से सहमति लेकर आपूर्ति राजकीय हित में ली जाती है जिससे धन की मितव्ययता नही होता है। खण्ड कार्यालय द्वारा लागत सामग्री का क्रय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में किया गया था, जबकि उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन के पत्रांक 2577 दिनांक 7–7–2018 द्वारा कभी कभी लो वोल्टेज की समस्या होने पर सरकारी नलकूप जिनसे आपूर्ति होती है, जो अति आवश्यक सेवा के अन्तर्गत आते है उन पर विद्युत स्टेबलाईजर लगवाने का सुझाव दिया था। खण्ड द्वारा जो वर्ष 2012 एवं 2013 में स्टेबलाईजर बिना आवश्यकता के उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति के नियमों को उल्लघन कर क्रय किये गये है, जिस समय लो वोल्टेज की समास्या ही नही थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-4 रू0 258.00 लाख की लागत सामग्री का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून :– दिनांकः 01 मई, 2008 को जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (**प्रोक्योरमेंट**) नियमावली, 2008 अधिसूचना प्रकीर्ण

अध्याय–2 सामग्री

सामग्री के लिए बिना दर सूची (कोटेशन) के क्रय

8. जहां क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य रु0 15,000 (रू0 पन्द्रह हजार) तक हो, प्रत्येक ऐसे अवसर पर ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति, बिना **कोटेशन**/निविदा के, खुले बाजार दर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित प्रारूप में प्रमाण पत्र अभिलिखित करने पर की जा सकती हैः–

क्रय समिति के माध्यम से सामग्री का क्रय

9. प्रत्येक अवसर पर रु0 15000 (रू0 पन्द्रह हजार) से अधिक तथा रु0 1,00,000 (रू0 एक लाख) तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस क्रय समिति में अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखा परीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी होगा।

दर संविदा के अधीन सामग्री का सीधे क्रय

10(1) ऐसी सामग्री और मदों के लिए, जिन्हें सामान्य उपयोग की मदों के रूप में चिन्हित किया गया है और जिन की सरकारी विभागों और एजेन्सियों को बार–बार आवश्यकता होती है, उनके लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों की पदनामित केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा 'दर संविदा' की जा सकती है। ऐसी 'दर संविदाओं' का विवरण विभाग/शासन की वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए। विभाग/शासन यह सुनिश्चित करेगा कि दर संविदा के मूल्य, बाजार भाव या अन्य संगठनों में समान दर संविदाओं में दिए गये मूल्य से अधिक न हों।

(2) दर संविदाएं सामान्यतः एक समय में एक वर्ष के लिए की जा सकेंगी। तथापि ऐसी सामग्री के विषय में जिनके मूल्य में निरन्तर उतार–चढाव होता रहता है या जहाँ दर संविदा के वैध अवधि में मूल्यों के कम होने की प्रवृत्ति हो, अल्प अवधि के लिए दर सविदा की जा सकती है और ऐसी सामग्री के बाजार भाव पर कड़ी निगरानी रखी जाए। विशेष परिस्थितियों में, वित्त विभाग की सहमति से विभाग को भारत सरकार के केन्द्रीय क्रय संगठन यथा पूर्ति और निपटान महानिदेशक (डी.जी.एस.एंड.डी.) द्वारा की गई दर संविदा के आधार पर सामग्री क्रय करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा

13.(1) रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित की जाए। रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार पत्र (पत्रों) और विशेष मामले में व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये। (2) निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड रूडकी की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग के द्वारा माह 06/2017 से माह 06/2018 तक विभिन्न संविदाकरों फर्म जिनका मुख्य कार्य केवल संविदाकार है, उनसे कुटेशन प्राप्त कर कुल रू0 2,57,62,779.00 की लागत **सामग्रियों** का क्रय टुकडों में प्रत्येक दिन या दूसरे दिन क्रयादेश जारी करके किया गया था। जिसका विवरण संलग्नक है। जबकि शासन द्वारा जारी उत्तराखण्ड **प्रोक्योरमेंट** नियमावली 2008 में सामग्री क्रय खण्ड कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष चिन्हित क्रय की जाने वाली सामग्री को निविदा आमंत्रित कर दर संविदा के द्वारा ख्याति प्राप्त **फ़र्मों** से किया जाना चाहिये था, ऐसा करने से जहॉ एक ओर शासकीय नियमों का पालन सुनिशिचित किया जाता वही दूसरी ओर खण्ड को प्रतिस्पर्धा दरों का लाभ प्राप्त होता, तथा उच्चकोटि की सामग्री भी प्राप्त होती। खण्ड के द्वारा जिन फर्मो से कुटेशन प्राप्त कर उनकी दी गयी दरों को अनुमोदित करके सामग्री का क्रय किया गया था, वह उस सामग्री के लिये विनिर्माता फर्म के अधिकृत थोक विक्रेता भी नही थें। फिर भी खण्ड द्वारा उनसे ही प्रत्येक वर्ष नियमों के विरूद्व जाकर केवल प्राप्त कुटेशनों से सामग्री का भण्डारण किया जाता है।

इस संबंध में पूछने पर खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि उपलब्ध बजट एवं मॉग के अनुसार ही सामग्री क्रय की जाती है, क्रय की गयी सामग्री का भुगतान बीजकों के अनुसार ही किया जाता है।

विभाग का उत्तर मान्य नही है, क्योकि जब प्रत्येक वर्ष अत्यधिक धनराशि की सामग्री का क्रय खण्ड कार्यालय के द्वारा किया जाना था, तो उन चिन्हित विनिर्माता फर्म या उनके अधिकृत डीलरों से सामग्री का क्रय करने के लिये उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट नियमावली 2008 में उल्लिखित प्रावद्यानों का अनुपालन सुनिशिचित करते हुऐ निविदा आमंत्रित कर सामग्री का क्रय किया जाना चाहिये था। ऐसा करने से जहाँ शासकीय धनराशि का व्यय नियमों के अनुसार किया जाता, वही उच्चकोटि की सामग्री एवं निविदा बिक्री से राजस्व भी प्राप्त होता। विभाग की इस लापरवाही से शासन को उच्चकोटि की सामग्री एवं राजस्व प्राप्ति से भी वंचित रहना पडा।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग– 'ब'

प्रस्तर – 5 नलकूपों की सींच दर्ज न होने से शासन को सिचाई कर के रूप में धनराशि रूपये 10.6 लाख के राजस्व की हानि।

रिसोर्स मोबलाईजेशन कमेटी की अप्रैल 2010 में आहुत बैठक के कार्यवृत्तानुसार प्रमुख सचिव, वित्त का स्पष्ट मत था कि नलकूप के चालन व रख–रखाव की लागत वसूली को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

नलकूप खण्ड रूड़की के अभिलेखों की जॉच के दौरान संज्ञान में आया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में खण्ड में कुल नलकूपों की संख्या 336 थी जिनमें से 247 नलकूप चलित/कार्यशील थे। नलकूप चालकों के आभाव में खण्ड के अधिकांश नलकूपों से सींच दर्ज नही हो पा रही थी। खण्ड के 67 नलकूप ऐसे थे जिनमें सींच दर्ज नहीं थी। इनमें से 12 नलकूप ऐसे थे जिनमें विगत चार वर्षो से सींच दर्ज नहीं की गई थी जिसके कारण शासन प्रतिवर्ष जहाँ राजस्व की भारी क्षति हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ इन नलकूपों के रख–रखाव विद्युत खर्च पर निरन्तर धन राशि व्यय करनी पड़ रही थी। यदि उक्त नलकूपों का निकास वर्तमान न्यूनतम निकास दर 22500 गैलन प्रति घंटा के बराबर होता व नलकूप प्रतिदिन औसतन 6 घंटे (दिन के घंटों का एक चौथाई) चला होता तो उक्त वर्षो में शासन को सिचाई कर के रूप में राजस्व की निम्नानुसार प्राप्ति होतीः–

$$\text{प्राप्त राजस्व} = \frac{\text{निकास X 6 माह में कुल चलित घंटे (रवी व खरीफ फसलों के लिए अलग–अलग) X दर X वर्षो की संख्या जिनमें सींच नहीं हुई X नलकूपों की संख्या}}{\text{1000 गैलन (खरीफ हेतु) अथवा 5000 गैलन (रवी हेतु)}}$$

67 नलकूपों से प्राप्त होने वाले राजस्व का निर्धारणः–

$$\text{प्राप्त राजस्व} = \frac{1.20 \text{ X } 22500 \text{ X } 1080 \text{ X } 1 \text{ X } 67}{10000} = 195372$$

$$\text{रवी} = \frac{1.20 \text{ X } 22500 \text{ X } 1080 \text{ X } 1 \text{ X } 67}{5000} = 390744$$

$$\text{खरीफ} = 139968$$

12 नलकूपों से प्राप्त होने वाले राजस्व का निर्धारणः–

$$\text{रवी} = \frac{\frac{1.20 \times 22500 \times 1080 \times 4 \times 12}{10000}}{5000} = 279936$$

कुल निर्धारित राजस्व रूपये – 10,06,020 अर्थात 10.06 लाख

स्पष्ट है कि उक्त वर्षो में सींच दर्ज न होने के कारण शासन को राजस्व के रूप में न्यूनतम 10.06 लाख की क्षति हुई।

लेखा–परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण सींच के ऑकड़े प्राप्त नहीं हो रहे हैं। सींच सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जाता है। अतः उक्त उद्देश्य की पूर्ति हो रही है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि रिसोर्स मोबलाईजेशन कमेटी की बैठक में प्रमुख सचिव, वित्त ने स्पष्ट कहा था कि नलकूपों के चालन व रख–रखाव की लागत गहन है अतः उचित लागत वसूली सुनिश्चित की जानी चाहिए। जहॉ तक कर्मचारियों के कमी का प्रश्न है खण्ड में कर्मचारियों की मॉग का औचित्य तर्कहीन था क्योंकि खण्ड द्वारा कर्मचारियों की कमी के बावजूद सींच लक्ष्यों का गलत निर्धारण कर सींच लक्ष्यों की प्राप्ति दिखायी जा रही थी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-6 रु 54.46 लाख धनराशि का व्यय अनियमित रूप से किये जाने एव 50 है० भूमि को सिचाई के लाभ से वंचित रखने का प्रकरण ।

शासनादेश संख्या 562/xxvii(7) (17) 2010 दिनांक 24/5/2010 के द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए अधिशासी अभियंता द्वारा नलकूपो के निर्माण हेतु रु 57.83 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी इसी क्रम मे इन नलकूप के निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति रु 57.83 दिनांक 20 /06/2017 को प्रदान की गयी थी इस नलकूप से 50 है० असिंचित भूमि को सिंचित किया जाना था नलकूप के निर्माण हेतु अनुबन्ध संख्या 11/अअ/2016-17 का गठन किया गया था ग्राम भोरा डेरी /बावली कलंजरी मे अनुबंध की लागत रु 1500800 कार्य प्रारम्भ की तिथि 16/12/2016 कार्य पूर्ण की तिथि 29/01/2017 थी, नलकूप सामग्री की आपूर्ति कार्यालय द्वारा की जानी थी । वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 378 के अनुसार जब भूमि का अधिग्रहण न हो जाए निर्माण कार्य प्रारम्भ न किया जाए । इस निर्माण कार्य पर रु 57.83 लाख के सापेक्ष रु 54.46 लाख राशि व्यय की गयी है । नलकूप हेतु भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है इस नलकूप द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक कोई सींच दर्ज नहीं की गयी है अर्थात 50 है० भूमि असिंचित थी , भूगर्भवेता की आख्या इस कार्य मे प्राप्त नहीं की गयी है जिला स्तर गुणवत्ता की जांच हेतु किसी प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया रेजिस्टीविटी टेस्ट एव लोगिंग टेस्ट नहीं कराये गए थे । इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि- किसान की सहमति से छिद्रण किया गया है नलकूप अभी चलित नहीं है जल की प्रचुर मात्रा होने के कारण उपरोक्त किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं थी । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि सभी प्रकार की जांच एव भूमि अधिग्रहण नियमानुसार आवश्यक है ।

अत: रु 54.46 लाख धनराशि का व्यय अनियमित रूप से किये जाने एव 50 है० भूमि को सिचाई के लाभ से वंचित रखने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर संख्या–7 बिना कार्य कराये वेतन का भुगतान `–436025

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड रूड़की में वाहन चालक के कुल स्वीकृत दो (02) पद के सापेक्ष तीन (03) वाहन चालक की तैनाती की गई है। पुनः खण्ड द्वारा चालू हालत के वाहन एवं उस पर तैनात चालकों की सूची में कुल दो (02) वाहन चालकों को पदस्थापित दिखाया गया है, जिसका विवरण निम्न है।

क्र0स0	नाम	पदनाम	वाहन संख्या जिस पर चालक की तैनाती की गई है
1.	श्री गुड्डन अहमद	चालक	URF – 5279 महेन्द्रा जीप
2.	श्री सत्येन्द्र	चालक	UK08 GA – 0141महेन्द्रा बोलेरो

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक वाहन चालक की तैनाती किसी भी वाहन पर नहीं की गई। लेखा परीक्षा द्वारा यह पृच्छा किए जाने पर कि एक अतिरिक्त वाहन चालक से क्या कार्य लिया जाता है, खण्ड द्वारा जवाब में बताया गया कि वाहन चालक के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकार एक वाहन चालक को लेखा परीक्षा अवधि (8/17 से 7/18) तक बिना कार्य कराये `–436025 वेतन भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
96/2010-11	1,2	----	-
89/2011-12	-	1,2	-
46/2015-16	-	1,2,4	-
44/2016-17	-	1,2,	-
27/2017-18	-	1,2,3	1
योग	**2**	**10**	**1**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			भाग 2ब प्रस्तरों की अनुपालन आख्या पूर्व मे प्रेषित की जा चुकी है भाग 2अ अनुपालन आख्या बाद मे प्रेषित की जाएगी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

“शून्य”

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता नलकूप खंड ,सिचाई विभाग रुड़की तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1)	श्री ईश्वर सिंह फोनिया	अधिशासी अभियंता
(2)	श्री सुरेश पाल	अधिशासी अभियंता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता नलकूप खंड ,सिचाई विभाग रुड़की , को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 ,को प्रेषित की जाए ।

विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(1) श्री देवेन्द्र सिंह

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- 2